

प्रारूप-2
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुन

कमाक-जिशाअ/प्रार/बु/मान्यता/2012/प्रबन्धक
दूरभाष एवं फैक्स नम्बर- 01592 - 235475/235474 E.mail Id.: dooelajin@gmail.com

दिनांक:- 30.10.11

851
विरमा - स्कूल,
OR देलानी

विषय-निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

श/महोदया,

आपके दिनांक:- 23 फरवरी 2012 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मै 1/4/12 से दिनांक:- 31/3/12 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 (माध्यम) को दिनांक:- सत्र 2012 से दिनांक:- 31/3/12 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन है-

- 1 मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2 विद्यालय निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पाड़ों के कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यक समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4 पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरतियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5 सौसायटी/विद्यालय किसी कैंपिटिशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- 6 विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
- 7 विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि-
 - (i) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालको शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निशक्तता रास्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
 - (vi) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
 - (viii) अध्यापक रचय को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

D. S. W.

**PRINCIPAL
BIRLA SCHOOL, PILANI
PILANI (RAJ.)**


[Signature]


[Signature]
**Manager
Birla School Pilani
Pilani - 333031 (Rajasthan)
CBSE Affn. No. : 1730009**

- 8 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 9 विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
- 10 विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा निर्दिष्ट विद्यालयों के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं-
विद्यालय परिसर का क्षेत्र
कुल निर्मित शत्र
कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल
कक्षा कमरों की संख्या
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष
बालक और बालिकाओंके लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई
बाधा रहित पहुंच
अध्यापक पढ़न सामग्री / कीड़ा खेलकुद उकस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता
- 11 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालयों के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
- 12 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 13 विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोकन्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 14 विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समुह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 15 विद्यालय के लेखाओं के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा सपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्डुनू को भेजी जानी चाहिए।
- 16 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक.... ..है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
- 17 विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर / जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्डुनू द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
- 18 सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
- 19 सलग्न उपाबंध-III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

20. R.T.E. 2009 के दायर मापदंडों की पूर्ति अवश्य करें
वरना आपकी मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

भवदीय,


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, झुन्डुनू


PRINCIPAL
BIRLA SCHOOL, PILANI
PILANI (RAJ.)


Manager
Birla School Pilani
Pilani - 333031 (Rajasthan)
CBSE Affn. No. : 1730009

